

नाम मोजा ..... लोसिदमा

प.ह.नं. .... १०/१२३


नं. बं. २२७५/१६३ तहसील - ..... जिला धमतरी (छ.ग.) सन २०१२-१३ सकिल

P-II खसरा पांचसाला

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खेतों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कृषक का नाम उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देयरजस्व का लगान	किसी भूमिरवामी या पट्टेदार का या किसी मोरुसी कार्तकार के उप-पट्टेदार का नाम पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान उगाई गई		खाली भूमि		पडती का क्षेत्रफल	अन्य पडती अथवा 5 वर्ष से अधिक	कुल क्षेत्रफल	काम का वर्णन
				क्षेत्रफल	नाम	क्षेत्रफल	नाम				
1909/9	0.806 खेत	बंदा राम		5	16	7	8	9	10	11	कफियत
1760	9.422 खेत	बंदा राम									
1900	8.250 खेत	बंदा राम									
1900	0.022 खेत	राम									
1900	0.096 खेत	राम									
1900	0.656 खेत	राम									
1900	0.223 खेत	राम									

2111004900  
2111004900  
2111004900

प्रतिलिपि कबजा



N  
 ↑  
 नम्बो.नं. ३०९  
 ५३३  
 ग्राम कोरिदभाट  
 पालो.नं. २०ब/१६  
 वाणिज्य. नम्बो  
काल १६" = १मील

टीप - सप्तसकीय मसविद्यालय चान्दरी को हस्तान्तरित ग्राम में लाल टपाही प्रदक्षिण मार्ग में १ सुन्दरलाल जो. मनेसलाल मल्ला ०.३४४ हे. (०.५४ डिस.) में २ सुन्दरलाल व भोमराज मसी ०.२३२ हे. (०.३९ डिस.) में अर्बेथानिक कबजा लिपेटें।


17  
 14-5-01

सहसुपुत्र  
 सचिव (उत्तमपद)

कार्यालय कलेक्टर एवं पब्लिक वर्क सचिव, मध्यप्रदेश, राजस्व विभाग, रायपुर

धारा ६-मु-अर्जन अधिनियम

अधिसूचना



क्रमांक का. मु-अर्जन २-आ. २२-८३-८४ रायपुर तबनांक २३-१०-१९८४

सूचित राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे की गई अनुसूची के पद (१) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद (२) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः मु. अधिनियम १९८३ (क्र०-२-सं० १९८३) की धारा ६ में उल्लिखित इसके द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

१: भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला रायपुर
- (ख) तहसील - धमतरी
- (ग) ग्राम - सोरिमाठ सं० ०१०-०-०
- (घ) क्षेत्रफल २-६२८ हे०

सं० ०१० रकबा ::::: भूमि सूचना है :::::

२: सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए: शासकीय महाविद्यालय धमतरी के भवन निर्माण भूमि को आवश्यकता है। हेतु।

३: भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मु-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आवेधानुसार,

धर्मा -

(राजश्री सिंह)  
कलेक्टर एवं पब्लिक वर्क सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग,  
रायपुर।

०२५३  
१०१० का मु-अर्जन २-आ. २२-८३-८४ रायपुर तबनांक २३-१०-१९८४

प्रतिश्लेष:-

(१) निर्माण शासन केन्द्रीय मुख्यालय, म० प्र० सीवालय को म० प्र० राजस्व भाग-१ में शीघ्र प्रकाशनाय औचित्य।

(२) कृष्ण प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धमतरी को सूचनायुक्त। सूचना निर्देश से सम्पर्क कर अधिसूचना शीघ्र प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।

श्री कमी क्षत्र सुपरिन्ट  
मु-अर्जन अधिकारी,  
रायपुर. (स. प्र.)  
19/11/84

(राजश्री सिंह)  
कलेक्टर एवं पब्लिक वर्क सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
रायपुर।